

राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या - 1602/2009/अलवर

मैसर्स लक्सोटिका इण्डिया,  
आई वीयर प्रा.लि., प्लॉट नं.812/एच-आई-57,  
सेमटेल जोन, रीको फेज-द्वितीय, जयपुर।

.....अपीलार्थी.

बनाम

अतिरिक्त आयुक्त (वैट एण्ड आई.टी.)  
वाणिज्यिक कर विभाग, जयपुर।

.....प्रत्यर्थी.

खण्डपीठ

श्री राकेश श्रीवास्तव, अध्यक्ष  
श्री मदन लाल, सदस्य

उपस्थित : :

श्री विवेक सिंघल,  
अधिकृत प्रतिनिधि।

.....अपीलार्थी की ओर से.

श्री रामकरण सिंह,  
उप-राजकीय अभिभाषक।

.....प्रत्यर्थी की ओर से.

निर्णय दिनांक :08.04.2015

निर्णय

1 अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा उक्त अपील अतिरिक्त आयुक्त (वैट एण्ड आई.टी.), वाणिज्यिक कर विभाग, जयपुर (जिसे आगे "अतिरिक्त आयुक्त" कहा जायेगा) के द्वारा पारित आदेश दिनांक 30.07.2009, जो प्रकरण संख्या प-5 (सी) (125) / करदर / आयुक्त / विधि / 2008 / 262 / दिनांक 04.08.2009 में राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम (जिसे आगे अधिनियम कहा जायेगा) की धारा 36 के अन्तर्गत पारित किया गया है तथा जिसमें अपीलार्थी व्यवहारी ने अतिरिक्त आयुक्त द्वारा "धूप के चश्मे" (Sun Glasses)" पर कर दर 12.5 प्रतिशत अभिनिर्धारित करने को विवादित किया है।

2. प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा राज्य में "अधिनियम" के दिनांक 01.04.2006 से लागू होने के पश्चात्, "अधिनियम" की धारा 36 के अन्तर्गत एक प्रार्थना पत्र, "अतिरिक्त आयुक्त" को "धूप के चश्मे" (Sun Glasses)" पर कर दर के "विनिश्चयन" हेतु प्रस्तुत किया। जिसकी "अतिरिक्त आयुक्त", द्वारा समय-समय पर सुनवायी कर, यह अभिनिर्धारित किया कि समान बिन्दु पर दिनांक 29.12.2007 को अधिनियम की धारा 36 के तहत अवधारण मैसर्स टाईटन इण्डस्ट्रीज लि., जयपुर के प्रकरण में हो चुका है, जिसमें "धूप के चश्मे" (Sun Glasses)" पर कर दर 12.5 प्रतिशत होना अवधारित किया गया है। अतः अपीलार्थी का प्रकरण पूर्णतः आच्छादित होने के कारण, अधिनियम की धारा 36 के तहत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को अस्वीकार कर दिया गया। जिससे व्यथित होकर अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा उक्त अपील प्रस्तुत की गयी है।

वे-

लगातार.....2

3. उभयपक्षीय बहस सुनी गयी ।
4. अपीलार्थी व्यवहारी के विद्वान अभिभाषक ने उपस्थित होकर अभिवाक् किया कि अपीलार्थी व्यवहारी राज्य में एक पंजीकृत व्यवहारी है जिसके तिन (पंजीयन क्रमांक) 08510854648 है। अग्रिम कथन किया कि विद्वान अतिरिक्त आयुक्त द्वारा पारित आदेश अनुचित एवम् अविधिक है, जैसा कि उनके द्वारा अनुचित रूप से “धूप के चश्मे” (Sun Glasses) पर कर की दर 12.5 प्रतिशत होना अवधारित कर दी गयी है । अपने तर्क को आगे बढ़ाते हुये अभिवाक् किया कि अधिनियम की अनुसूची IV की प्रविष्टि संख्या 125 है, है, तथा उक्त में “धूप के चश्मे” (Sun Glasses) को 4 प्रतिशत से कर योग्य होना राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित किया गया है । अतः “धूप के चश्मे” (Sun Glasses) में शामिल होने के कारण, इस पर अधिसूचित कर दर 4 प्रतिशत ही है। इस संबंध में कथन किया कि “Spectacles” व “धूप के चश्मे” (Sun Glasses) को समान वस्तु होने का तर्क दिया तथा अपने तर्क के समर्थन में 1990 (50) ई.एल.टी. 193 को प्रोद्धरित कर कथन किया कि माननीय न्यायालय ने उक्त दोनों वस्तुओं के संबंध में निम्न प्रकार सिद्धांत प्रतिपादित किया है “In this connection it is seen that in the Encyclopaedia Britannica entry regarding eye glasses also called spectacles include the following words:

“glasses, the lenses are tinted to reduce light transmission and avoid glare”

In the Indian Standard specifications I.S. 5695-1970 the relevant entry refers to spectacles lenses as basically ophthalmic lenses and the entry 4.1 mentions that spectacles lenses shall be either tinted or non tinted and further mentions that they may be of various types including plane lenses. The Indian Standard glossary entry 3.52 also refers to plane lenses.

In the Indian Standards of glossary terms I.S.8260 part 1976 entry 3.68 mentions sun glasses or spectacles are of filtering action to reduce the intensity in general.

These definitions show that the term “Spectacles” includes sun glasses and the spectacle lenses or sun glasses can be even plane glasses i.e. lense with “O” power. In other words sun glasses are a type of spectacles in which the lenses are tinted to reduce the

Handwritten mark

Handwritten mark

**light transmission and avoid glare."**

इसी कम अपीलार्थी व्यवहारी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा कर्नाटक राज्य की मूल्य परिवर्धित अधिनियम का हवाला देते हुये तर्क दिया कि कर्नाटक राज्य में ऊपर प्रोद्धरित न्यायिक दृष्टांत का अवलम्ब लेते हुये "धूप के चश्मे (Sun Glases)" व नजर के चश्मों को 4 प्रतिशत की दर से ही कर योग्य होना अवधारित किया गया है। अतः इस संबंध में "धूप के चश्मे (Sun Glases)" पर अधिसूचित कर दर अनुसूची IV इन्द्राज संख्या 125 के अनुसार 4 प्रतिशत ही है। लिहाजा, इस बिन्दु पर अतिरिक्त आयुक्त का अवधारण विधिसम्मत नहीं होने के कारण, इसे अभिखण्डित एवम् अपास्त कर "धूप के चश्मे (Sun Glases)" पर दिनांक 01.04.2006 से प्रभावी कर दर 4 प्रतिशत से होना घोषित करने की प्रार्थना की है।

5. उप-राजकीय अभिभाषक द्वारा "अतिरिक्त आयुक्त" के आदेश का समर्थन कर इस संबंध में किसी प्रकार के हस्तक्षेप नहीं करने की प्रार्थना की गयी। विशिष्ट रूप से इस संबंध में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के न्यायिक दृष्टांत (2014) 9 आरजीएसटीआर 109 मैसर्स रेबेन सन ऑप्टिक्स इण्डिया लि. बनाम् उपायुक्त (अपील्स) निर्णय दिनांक 15.10.2013 को प्रोद्धरित कर कथन किया कि माननीय न्यायालय द्वारा प्रोद्धरित न्यायिक दृष्टांत में "धूप के चश्मे (Sun Glases) को अनुसूची IV की प्रविष्टि संख्या 125 "Spectacles, parts and components their of contact lens and lens cleaner", से भिन्न वस्तु होना अभिनिर्धारित कर, "धूप के चश्मे (Sun Glases)" पर कर दर 12.5 प्रतिशत होना निर्धारित की गयी है। अतः प्रोद्धरित न्यायिक दृष्टांत के आलोक में, अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील अस्वीकार करने की प्रार्थना की गयी।

6. उभयपक्षीय बहस पर मनन किया गया। हस्तगत प्रकरण में विवादित बिन्दु पर उप-राजकीय अभिभाषक द्वारा माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के प्रोद्धरित न्यायिक दृष्टांत का ससम्मान अध्ययन किया गया। इस संबंध में उल्लेखनीय है कि माननीय न्यायालय द्वारा मैसर्स रेबेन सन ऑप्टिक्स इण्डिया लि. बनाम् उपायुक्त (अपील्स) निर्णय दिनांक 15.10.2013 (2014) 9 आरजीएसटीआर 109 के जरिये "धूप के चश्मे (Sun Glases) को अधिनियम के तहत जारी अनुसूची IV की प्रविष्टि संख्या 125 "Spectacles, parts and components their of contact lens and lens cleaner", से भिन्न वस्तु होना अभिनिर्धारित कर, "धूप के चश्मे (Sun Glases)" पर कर दर 12.5

W

2

अपील संख्या - 1602/2009/अलवर  
प्रतिशत होना निर्धारित कर दिया गया है। अतः माननीय न्यायालय द्वारा दिये गये निर्णय उपरांत उक्त बिन्दु पर हस्तगत पीठ के समक्ष किसी प्रकार का कोई निर्णय दिये जाने का कोई औचित्य नहीं है। लिहाजा, अतिरिक्त आयुक्त द्वारा पारित आदेश विधिसम्मत एवम् उचित होने के कारण यथावत रखा जाता है तथा फलस्वरूप, माननीय न्यायालय द्वारा ऊपर प्रोद्धरित आदेश के आलोक में, "धूप के चश्मे" (Sun Glases) पर कर दर 12.5 प्रतिशत होने के कारण, उक्त पर कर दायित्व 12.5 प्रतिशत की दर से अभिनिर्धारित कर, अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा प्रस्तुत अपील अस्वीकार की जाती है।

7. परिणामतः, अपील अस्वीकार की जाती है।
8. निर्णय प्रसारित किया गया ।

  
(मदन लाल)  
सदस्य

  
(राकेश श्रीवास्तव )  
अध्यक्ष